ई–टेण्डर नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी क्षेत्र के विभिन्न बस स्टेशनों पर रिक्त/अवधि समाप्त होने वाले निम्नलिखित स्टालों के संचालन हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

बस स्टेशन का नाम	स्टाल का नाम	न्यूनतम आरक्षित मूल्य प्रतिमाह(कर अतिरिक्त)	आर्नेष्ट मनी	स्थान व क्षेत्रफल	प्रतिभूति धनराशि	स्वीकृति अवधि
जौनपुर	कैण्टीन	35460.00	10000.00	निर्मित कैण्टीन भवन–क्षेत्रफल 884.48 वर्गफीट	आफर की गयी मासिक धनराशि का तीन गुना	36 माह

1. निविदा प्रपत्र e-tender.up.nic.in पर e-tendering के माध्यम से दिनांकः 01.10.2019 से दिनांक 14.10.2019 तक प्रातः 10.00 बजे से सायं 16.00 बजे तक रू0–24.00 टेण्डर फीस के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करके अपलोड किया जा सकेगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी के पक्ष में देय होगा निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा e-tendering के माध्यम से दिनांक 15.10.2019 तक समय 15.00 बजे तक अपलोड किया जा सकेगा।
3. किसी भी ठेके हेतु आरक्षित मूल्य से कम धनराशि की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा का अन्य विवरण निविदा डाकूमेन्ट में देखा जा सकता है।
5. निविदा प्रपत्र एवं उससे सम्बन्धित निगम एवं शर्तो दिनांकः 01.10.2019 से परिवहन निगम की वेबसाईट www.upsrtc.com से डाउनलोड की जा सकेगी।
6. पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा प्रपत्र की अपलोड प्रति(हार्ड कापी) दिनांकः 15.10.2019 को 15.00 बजे तक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उ0प्र0परिवहन निगम वाराणसी में मूल डिमाण्ड ड्राफ्टों, चरित्र प्रमाण पत्र एवं अन्य अपेक्षित डाकूमेन्ट की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करके सील्ड लिफाफे में प्रेषित करना होगा। निविदा दिनांकः 15.10.2019 को 16.00 बजे डाउनलोड की जायेगी।
7. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिमाह आफर की गई धनराशि के तीन माह के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में एवं रू0–10,000.00(दस हजार) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट अर्नेष्ट मनी के रूप में (दो अलग–अलग) जो क्षेत्रीय प्रबन्धक,उ0प्र0परिवहन निगम वाराणसी के पक्ष में हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. ठेके अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जायेगें, परन्तु यदि परिवहन निगम द्वारा उचित व्यवस्था में परिवर्तन करने का निर्णय लिया जाता है, तो ठेके को निरस्त करने का अधिकार परिवहन निगम में होगा।
9. किसी भी ठेके की निविदा अथवा सम्पूर्ण निविदा कार्यवाही को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समक्ष अधिकारी की समिति में निहित है।
10. निगम प्रशासन/निविदा समिति द्वारा आवन्टित किये गये निर्धारित स्थान/स्टाल पर ही ठेका चलाने के लिए अधिकृत होगें, जो ठेकेदारों को मान्य होगा तथा स्वीकृत किये गये ठेकों की राशि पर नियमानुसार जीएसटी प्रतिमाह लाइसेंस फीस के साथ अतिरिक्त ठेकेदारों का जमा करना होगा।
11. ठेके के अनुबन्ध हेतु उ0प्र0स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत कुल ठेका मूल्य का 4% धनराशि का स्टाम्प पेपर देना होगा।
12. निविदा की शर्ते पूर्ण न पाये जाने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

ह0/–
क्षेत्रीय प्रबन्धक
वाराणसी

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
वाराणसी

पत्रांकः– 6879/ 019,वारा0/क्षे0प्र0/जन–ठेका/कैन्टीन/नीलामी/ दिनांक– 27.09..2019

प्रतिलिपिः– **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।**

1. प्रधान प्रबन्धक(विविध) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक(एमआईएस) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा विज्ञप्ति को परिवहन निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
4. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम वाराणसी क्षेत्र।
5. समस्त वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम वाराणसी क्षेत्र।
6. नोटिस बोर्ड।

ह0/–
क्षेत्रीय प्रबन्धक
वाराणसी

Downloaded From www.upsrtc.com

मुख्य शर्ते

निविदा की मुख्य शर्ते निम्नवत हैः–

1– जिन स्टाल संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची में है, वे निविदा डालने के अर्ह नहीं होगें और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– प्रत्येक निविदा दाता को प्रत्येक सटाल हेतु साथ रू0 10,000.00 का अर्नेष्टमनी भुगतान करना होगा।

3– प्रत्येक निविदा दाता को निविदा में प्रतिमाह आफर की गई मासिक लाइसेंस शुल्क के तीन माह के समतुल्य धनराशि का डी0डी0 प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी।

4– निविदा दाता को अपना नाम, पिता का नाम, निवास प्रमाण पत्र एवं उसका सत्यापन विवरण, लेबर एक्ट में रजिस्टेशन प्रमाण पत्र तथा पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत) संलग्न करना होगा तथा अपनी फोटो(पासपोर्ट साईज की) किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

5– यदि एक व्यक्ति द्वारा कई स्टालों हेतु निविदा प्रपत्र भरा जाना है, तो उसे प्रत्येक स्टाल हेतु अलग–अलग निविदा प्रपत्र भरना होगा।

6– अपूर्ण निविदा प्रपत्र विचार नहीं किया जायेगा।

7– परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही ठेका/स्टाल संचालित करना होगा, यदि किन्हीं कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन का स्थान परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल/ठेका संचालित करना होगा।

8– निविदा में प्राप्त सर्वोच्च दर के प्रस्ताव के साथ तीन गुना धनराशि प्रतिभूति के रूप में भुगतान नहीं किये जाने पर अर्नेष्टमनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

9– स्टाल्स का निस्तारण निविदा में प्राप्त उत्तम दों के अनुसार किया जायेगा। प्राप्त निविदा सक्षम अधिकारी की समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

10– ठेके के अनुबन्ध हेतु उ0प्र0स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत कुल ठेका मूल्य का निर्धारित राशि का गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। स्टैम्प निविदा दाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

11– कैन्टीन संचालक को ट्राली युक्त वेन्डर्स रू0–5000.00 प्रतिमाह ट्राली रहित प्रति वेन्डर्स को रू0–2000.00 प्रतिमाह की दर से अनुमति दिये जाने पर भुगतान करना होगा।

स्टाल का क्षेत्रफल

अ– कैन्टीन का क्षेत्रफल आदि का पूर्व निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा और विधिवत घोषित किया जायेगा।

स्टाल की अवधि

ब– स्टाल की अवधि तीन वर्ष की होगी, परन्तु तीन माह पूर्व नोटिस देते हुए ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

12– निविदा में प्राप्त अधिकतम दर के प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में निर्धारित समिति द्वारा अपने अन्तिम निर्णय से उसी दिन उपस्थित निविदा दाताओं को अवगत कराया जायेगा।

Downloaded From www.upsrtc.com

13— प्रत्येक स्टाल के आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र के साथ कैन्टीन हेतु रू0—10000.00 (दस हजार रू0 मात्र) अर्नेष्टमनी जमा करनी होगी। अर्नेष्टमनी की धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम वाराणसी के पक्ष में देय होना चाहिए।

14— प्रत्येक निविदा के साथ ऑफर की गयी धनराशि के तीन माह के समतुल्य राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक,उ0प्र0परिवहन निगम वाराणसी के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदा प्रपत्र परिवहन निगम की वेबसाईट www.upsrtc.com से डाउनलोड की जा सकेगी।

15— क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में सहायक क्षेत्रीय प्रबनधक(वित्त) एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(कार्मिक)/स्थानीय वरिष्ठतम सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, की तीन सदस्यीय समिति रहेगी।

16— यदि स्टाल संचालक बीच में ही स्टाल छोड़कर चला जाता है, तो प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी, परन्तु स्टाल सचालक निर्धारित तीन माह के सूचना के उपरान्त स्टाल खाली करता है, तो उसके अन्य देयकों को प्रतिभूति राशि में से समायोजित करते हुए शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

17— निगम एवं स्टाल संचालक दोनों के द्वारा तीन माह का नोटिस अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। संचालक की नोटिस को स्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

18— ठेका संचालन हेतु घोषित तिथि से लाईसेंस शुल्क जमा करना अनिवार्य रहेगा।

19— संचालक द्वारा ठेके हेतु अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक लाईसेंस शुल्क एवं अन्य देय शुल्क जमा करनी होगी। 10 तारीख के बाद विलम्ब दिवस का आगणन 10वीं तारीख से होगा। विलम्ब दिवस हेतु मासिक लाईसेंस शुल्क का 1/20वां हिस्सा संचालक को आर्थिक दण्ड स्वरूप जमा करना होगा। एक माह से अधिक का विलम्ब अनुमन्य नहीं होगा तथा स्टाल आगामी 10 तारीख का स्वमेव समाप्त मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

20— स्टाल संचालक को एक परिवाद पुस्तिका रखनी अनिवार्य होगी, जिसका प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण स्टाल संचालक द्वारा स्वयं स्टेशन प्रभारी से कराया जायेगा तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, माह में कम से कम दो बार इसका निरीक्षण करेगें।

21 प्राप्त किसी भी परिवाद/निरीक्षण रिपोर्ट पर सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से अनुबन्ध के शर्तानुसार कार्यवाही करते हुए अनुबन्ध समाप्ति का निर्णय लिया जा सकता है।

22— खाद्यय एवं पेय पदार्थो में मिलावट अथवा नकली ब्राण्ड के खाद्यय एवं पेय पदार्थ बेचे जाने अथवा निगम परिसर में किसी संज्ञेय अपराध करने/लिप्त पाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ठेका संचालक के विरूद्ध नियामानुसार एफआईआर दर्ज कराते हुए अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त निर्णयों का प्रत्यावेदन स्टाल संचालक द्वारा प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ, को किया जा सकता है।

22— स्टाल की गुणवत्ता एवं अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं पर सघन नियन्त्रण एवं अनुश्रवण के निमित्त प्रत्येक नोडल अधिकारी/क्षेत्रीय प्रबन्धक/स0क्षे0प्र0 अपने कार्य क्षेत्र में निरीक्षण के समय इन स्टाल्स का भी निरीक्षण सुनिश्चित करगें तथा यह कार्यवाही इस प्रकार आश्वसत की जाय कि वर्ष में स0क्षे0प्र0 स्तर पर शत—प्रतिशत क्षेत्रीय स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत तथा नोडल अधिकारी स्तर पर 20 स्टाल का निरीक्षण को जाय।

23— सक्षम अधिकारी कार्यालय स्तर पर प्रत्येक स्टाल संचालक की एक पत्रावली अलग से खोली जायेगी, जिसमें उसके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों, धनराशि जमा करने के साथ उससे सम्बन्धित किसी भी बिन्दु के पत्राचार को रखा जायेगा तथा यह पत्रावली उसके समबन्ध में लिए गये किसी भी निर्णय के समय प्रयोग की जायेगी।

23— समय—समय पर प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक/मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन) द्वारा भी इन स्टालों के निरीक्षण के लिए उत्तराधिकारियों को भेजा जायेगा। इन निरीक्षणों में विशेषकर निम्न बिन्दु देखी जायेगी।

<u>गुणवत्ता का अनुश्रवणः—</u>

समय—समय पर प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन) द्वारा भी स्टाल निरीक्षण के लिये अधिकारियों को भेजा जा सकता है। इन निरीक्षणो में विशेषकर निम्न बिन्दु देखे जाऐगे।

1. आवंटित स्थल से अधिक स्थान घेरना।
2. स्टाल पर स्वच्छता

Downloaded From www.upsrtc.com

3. निर्धारित मूल्यों के सापेक्ष चार्ज की जा रही दें।
4. फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था।
5. स्टाल का रख–रखाव एवं निस्तारण।
6. परिवाद पुस्तिका का रखरखाव एवं निस्तारण।
7. लाइसेन्स शुल्क का समय से जमा होना।

उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर स्टाल संचालक के विरूद्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम अधिकारी के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। बस स्टेशन के नियंत्रण अधिकारी/उपाधिकारी के विरूद्ध इन रिर्पोटों के परीक्षण के उपरान्त समुचित नियंत्रण न रखने हेतु 20 एवं 21 के बिन्दुओं में दी गयी कार्यवाही की जायेगी।

आवंटित क्षेत्रफल से अधिक क्ष्क्षेत्रफल घेरे पाये जाने पर स्टाल संचालक से उस स्थान के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक सर्किल दर के आधार पर प्रतिमाह धनराशि वसूल की जायेगी। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध समाप्ति पर भी विचार किया जा सकता है।

<u>स्टाल के कार्मिको की वर्दीः–</u>

ग्रे रंग की होगी।

<u>अन्य शर्तेः–</u>

1. स्टाल संचालक द्वारा निगम से आश्वासित स्थल पर ही स्टाल का संचालन किया जाएगा। निगम की अनुमति से अस्थाई शेड इत्यादि बनाया जा सकता है, जिसके स्टाल की पर, स्वयं के खर्चे पर हटाना होगा। ऐसे अस्थाई शेड, काउन्टर इत्यादि बनाते समय सक्षम अधिकारी के निर्देशो का पालन करना आवश्यक होगा। स्टाल पर टाइल्स आदि स्वच्छता हेतु प्रयोग हेतु किया जाएगा।
2. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित सभी टैक्स इत्यादि यदि कोई हो तो उसे स्टाल संचालन स्वयं भुगतान करेगा, स्थानीय संस्थाओं के नियमों का भी पालन उसे करना होगा।
3. स्टाल संचालन द्वारा विद्युत कनेक्शन स्वयं के खर्चे पर प्राप्त किया जायेगा एवं उपभोग की गयी विद्युत शुल्क का व्यापारिक दरों पर भुगतान स्टाल संचालक द्वारा स्वयं किया जायेगा।
4. स्टाल संचालक सभी खाद्य पदार्थो की बिक्री में स्वच्छता रखेगा एवं ऐसी व्यवस्था करेगा, जो कि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो। सभी सामान जाली अथवा शीशे से बन्द शो केश में रखकर बिक्रय करेगा।
5. निगम के कार्मिको को 12.50 प्रतिशत कम दर पर सामान का विक्रय किया जायेगा।
6. संचालक अपने स्टाल की प्रत्येक माह में एक बार उपयुक्त स्तर की पुताई एवं रंगाई कराएगा। निगम द्वारा इसे कराने पर व्यय की गई धनराशि स्टाल संचालक से वसूल की जायेगी।
7. स्टाल संचालक द्वारा कोयले, लकड़ी, बुरादा आदि का प्रयोग नही किया जायेगा।
8. स्टाल संचालक स्टाल को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नही करेगा।
9. स्टाल एवं उसके आस–पास के स्थान को स्वच्छ एवं सुन्दर रखने का दायित्व स्टाल संचालक को होगा।

उपरोक्त 1 से 9 की अवहेलना पर नियम संख्या 20 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

<u>निगम की क्षतिपूर्तिः–</u>

किसी भी सामान की बिक्री के कारण यदि कोई अथवा अन्य कठिनाई आती है या किसी व्यक्ति द्वारा कोई वाद, क्षतिपूर्ति इत्यादि की कार्यवाही की जाती है, तो उसका पूर्ण दायित्व स्टाल संचालक का होगा।

24– शहर में कर्फ्यू लगने, हड़ताल अथवा नेचुरल विपदाओं के समय ऐसी परिस्थितियों में जो स्टाल संचालक के नियंत्रण से बाहर हो, जहां स्टाल संचालक का व्यवसाय 10 दिन से अन्यून अवधि तक प्रभावित हो गया हो, सक्षम अधिकारी की समिति, प्रभावित दिनों तक के लिए लाइसेन्स शुल्क की छूट प्रदान कर सकेगी। समिति के इस सम्बन्ध में किये गये आदेश मुख्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

25– निगम को यह अधिकार होगा कि वह स्टाल संचालक को किसी भी समय केवल ब्राण्ड विशेष के सामान का बिक्री के निर्देश जारी कर दे। स्टाक संचालक ऐसे निर्देश का अनुपालन करने को बाध्य होगा।

26– स्टैम्प निविदादाता/ठेकेदार को उपलब्ध कराना होगा, इस हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नही किया जायेगा।

27– नियम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में अनुबन्ध स्टाल संचालक/ठेकेदार को अपने खर्चे पर टंकणित कराकर उपलब्ध कराना होगा।

Downloaded From www.upsrtc.com

राजपत्रित अधिकारी प्रमाणित निविदा दाता का पासपोर्टसाईज का फोटो

परिवहन निगम वाराणसी
निविदा प्रपत्र–टेक्निकल

मूल्य रू0–24.00

निविदा फार्म कय करने की तिथि.................................व दिनांक...............................

1–निविदा दाता कानामः...

2–पिता का नाम :...

3–स्थायी पता :...

....

4–ईमेल आईडी...मोबाईल नम्बर...

5–बस स्टेशन, क्षेत्र एवं जिस स्टाल हेतु निविदा दिया गया है, का विवरण :...

....

6–स्टाल की अवधिः ....

7–पैन नम्बर...

8–जिलाधिकारी कार्यालय से चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि(स्व प्रमाणित छायाप्रति एवं विवरण पत्र संलग्न करें)..

9–अर्नेष्ट मनी की धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का पूर्ण विवरणः..

उक्त दी गयी सूचना सही है एवं यदि उसमें कोई सूचना गलत साबित होती है, तो इस हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

टेण्डरदाता के हस्ताक्षर

नोटः– एक निविदा प्रपत्र केवल एक ही ठेके के लिए मान्य होगा। यदि निविदा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हेता है,तो जमा अर्नेष्टमनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। निविदा द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकृत करने का एक मात्र अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा एवं उसका निर्णय अंतिम होगा। निविदा प्रपत्र नियमावली सहित प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा। निविदादाता दो फोटोग्राफ(अतिरिक्त) नाम एवं पते के प्रमाणीकरण के साथ संलग्न करें।

Downloaded From www.upsrtc.com

राजपत्रित अधिकारी प्रमाणित निविदा दाता का पासपोर्टसाईज का फोटो

परिवहन निगम वाराणसी
निविदा प्रपत्र–फाइनेन्सियल

1–निविदा दाता का नामः...

2–पिता का नाम :...

3–स्थायी पता :...

....

4–बस स्टेशन, क्षेत्र एवं ठेके का विवरण :...

....

5–स्टाल संचालक की अवधिः ....

6–प्रस्तावित प्रतिमाह लाइसेन्स शुल्क (शब्दो में).....

अंको में...

7–प्रतिभूति धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का पूर्ण विवरण

प्रतिभूति धनराशि का बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

टेण्डरदाता के हस्ताक्षर

Downloaded From www.upsrtc.com